प्रेस नोट
जनपद सीतापुर

03 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद, कुल 18 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र के तीन अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.02.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 22.02.2021 को थाना तम्बौर/स्वाट, खैराबाद तथा थानगांव की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान विभिन्न स्थानों से कुल तीन अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए कुल 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मौके पर कुल 14 निर्मित अवैध शस्त्र, 04 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र तथा 03 कारतूस बरामद हुए है। तीनों अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में थाना तम्बौर, खैराबाद, एवं थानगांव पर अभियोग अंतर्गत आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है, जो काफी समय पूर्व से ही अवैध शस्त्र बनाने के कार्यों में लिप्त हैं एवम् **आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रो की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण एवम् विक्रय की तैयारियां कर रहे थे।** इन तमंचो को जनपद सीतापुर के अतिरिक्त अन्य जनपदों में विक्रय करके जीविकोपार्जन करते हैं। उपरोक्त अभियुक्तों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दर्ज है एवम् अवैध शस्त्र निर्माण जैसे आपराधिक कृत्य में जेल चुके हैं। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

थानावार विवरण निम्न है-

थाना तम्बौर

दिनांक 21.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी बिसवां के कुशल नेतृत्व में थाना तम्बौर एवम् स्वाट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुये अभियुक्त फिदा हुसैन पुत्र करम अली निवासी ग्राम हजरतपुर थाना तम्बौर जिला सीतापुर को ग्राम इस्माइल गंज से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 05 अदद निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र 12 एवं 315 बोर तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। अभियुक्त फिदा उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध अवैध शस्त्र निर्माण के संबंध अभियोग पंजीकृत हैं।

- **पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0 41/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना तम्बौर, सीतापुर।

- **अभियुक्त का नाम व पता**- फिदा हुसैन पुत्र करम अली निवासी ग्राम हजरतपुर थाना तम्बौर, सीतापुर

- **बरामदगी विवरण– 0**4 अदद तमंचा 315 बोर, एक अर्द्धनिर्मित तमंचा 12 बोर एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

- **गिरफ्तारी करने वाली थाना तम्बौर पुलिस टीम–**
  1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह
  2. उ0नि0 श्री त्रिभुवन कुमार
  3. हे0का0 वीरेन्द्र विक्रम सिहं
  4. का0 शिवम पाण्डेय
  5. का0 राहुल कुमार (स्वाट टीम)
  6. का0 आनन्द कुमार (स्वाट टीम)

- **आपराधिक इतिहास-**
  1. मु0अ0सं0 575/08 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना तम्बौर सीतापुर
  2. मु0अ0सं0 348/20 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर
  3. मु0अ0सं0 41/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

थाना थानगांव

दिनांक 22.02.2021 को चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बरामद करते हुये अभियुक्त शेरा पुत्र रामसागर निवासी ग्राम वैन मजरा परसिया थाना थानगांव जनपद सीतापुर को ग्राम वैन मजरा परसिया के पास गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 06 अदद तमंचे, एक अदद

अर्द्धनिर्मित तमंचा, 01 अदद कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त शेरा उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध लूट एवम् अवैध शस्त्र जैसे कई अभियोग पंजीकृत हैं।

- **पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0 60/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

- **अभियुक्त का नाम व पता**- शेरा पुत्र रामसागर निवासी ग्राम वैन मजरा परसिया थाना थानगांव,सीतापुर

- **बरामदगी विवरण**–06 अदद तमंचे, एक अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा, 01 अदद कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद

- **गिरफ्तारी करने वाली थाना थानगांव पुलिस टीम**–
  1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह
  2. हे0का0 महेशपाल
  3. का0 तबरेज आलम
  4. का0 इरशाद अहमद
  5. का0 विजयपाल
  6. का0 मनीष कुमार

- **आपराधिक इतिहास-**
  1. मु0अ0सं0 13/09 धारा 393/307 भादवि थाना थानगांव, सीतापुर
  2. मु0अ0सं0 15/09 धारा 5/27 आयुध अधिनियम थाना थानगांव, सीतापुर
  3. मु0अ0सं0 697/08 धारा 392/411भादवि थाना थानगांव, सीतापुर
  4. मु0अ0सं0 378/20 धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम थाना थानगांव, सीतापुर

थाना खैराबाद

दिनांक 22.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुये अभियुक्त रामकिशुन पुत्र ठाकुर लोध नि0 ग्राम ईटारोर थाना खैराबाद सीतापुर को ग्राम रमुआपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 02 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त

रामकिशुन उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद के अन्य थानों पर भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

- **<u>पंजीकृत अभियोग</u>**- मु0अ0सं0 78/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना खैराबाद सीतापुर

- **<u>अभियुक्त का नाम व पता</u>**- रामकिशुन पुत्र ठाकुर लोध नि0 ग्राम ईटारोर थाना खैराबाद सीतापुर

- **<u>बरामदगी विवरण</u>**–04 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 02 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

- **<u>गिरफ्तारी करने वाली थाना खैराबाद पुलिस टीम</u>**–
  1. उ0नि0 श्री देवेन्द्रनाथ पटेल
  2. उ0नि0 श्री गंगाप्रसाद
  3. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह
  4. का0 रामप्रवेश सिंह
  5. का0 परमेश्वर

- **<u>आपराधिक इतिहास</u>**-
  1. मु0अ0सं0 03/13 धारा 457/380 भादवि थाना कमलापुर, सीतापुर
  2. मु0अ0सं0 509/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना पिसावां, सीतापुर
  3. मु0अ0सं0 511/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना पिसावां, सीतापुर
  4. मु0अ0सं0 86/18 धारा 8/21 NDPS थाना खैराबाद, सीतापुर
  5. मु0अ0सं0 444/18 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना खैराबाद, सीतापुर
  6. मु0अ0सं0 436/18 धारा 411/413 भादवि थाना खैराबाद, सीतापुर
  7. मु0अ0स0 471/20 धारा 25(1-B) आयुध अधिनियम थाना खैराबाद, सीतापुर

थाना थानगाँव
थानाध्यक्ष
मो० 9454404269
जनपद - सीतापुर
हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
महिला हेल्प डेस्क
महिला हेल्प डेस्क

थाना खैराबाद
जनपद - सीतापुर
मो०नं० सी.यू.जी. 9454404250...